अवैध कब्जेदारी मामला: एसटी की जमीन पर गैर आदिवासी को कब्जा दिलाने का आरोप, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से शिकायत

हजारीबाग
3 महीने पहले

फीडबैक दें

हजारीबाग कोर्रा चौक के पास एसटी की जमीन पर गैर आदिवासी को कब्जा दिलाने को लेकर

जीवन मंत्र
यूटिलिटी
लाइफ - साइंस
फेक न्यूज एक्सपोज़
ओपिनियन
मधुरिमा
मैगजीन
राजस्थान की राजनीति

Download App from
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
Follow us on

उस जमीन पर किसी भी कार्य को किए जाने पर रोक के बजाय वहां झाड़ी साफ सफाई के आड़ में गेट का निर्माण किया जा रहा है।

प्रेम कुमार मुंडा ने कहा कि मना करने के बावजूद भी गेट का निर्माण जारी है। अंत में मैं इसकी शिकायत लेकर पुन:: राज्य मुख्यालय जा रहा हूं। मामला के संबंध में कोर्रा चौक मुषण साव गली निवासी प्रेम कुमार मुंडा पिता स्व किशुन मुंडा ने कहा कि जमीन मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से शिकायत करते हुए मैने पत्र लिखा है।

बताया कि उनके पूर्वज परदादा बिरसाई मुंडा पिता फागू मुंडा साकिन मौजा कार्रा, हजारीबाग के नाम से ग्राम कैन्टोनमेन्ट, थाना नंबर 157, खाता नंबर 96 प्लॉट नंबर 301, 302, 304, एवं 305 क्रमशः रकबा 24 डी0, 07 डी0, 68डी0, 21 डी. कुल रकबा 1.20 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में दर्ज है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत आदिवासी खाता की भूमि है।

इस जमीन से संबंधित खतियान जिला रिकार्ड रूम में भी उपलब्ध है, लेकिन अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। उक्त जमीन से संबंधित खास महल कार्यालय हजारीबाग में सर्वे वर्किंग खतियान को कतिपय अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। खास महल कार्यालय हजारीबाग में खास महल रजिस्टर पंजी-2 खाता नंबर 96 से बना नया खाता 276 किशुन गुन्डा व कारू मुंडा रकबा 40 डी0 को अनदेखा किया जा रहा है।

भास्कर इंटरव्यू
फीडबैक दें

आज का राशिफल
मेष
मेष | Aries
पॉजिटिव- समय अच्छा है। आपका टैलेंट और पर्सनेलिटी लोगों को पता चलेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। अपने से बड़े अनुभवी

ब्रजमोहन लाल खण्डेलवाल रकबा 40 डी इस जमीन पर आदिवासी रैयत को बोर्ड ऑफ रेवेन्यु से सीएनटी एक्ट 1908 धारा 46 (4।) के तहत भू वापसी हो चुकी है। लेकिन इसे भी नहीं माना जा रहा है। मामले को अनदेखा किया जा रहा है।

जमीन से संबंधित सरेंडर या किसी तरह से अधिग्रहण कार्यालय में नहीं

पत्र में बताया गया कि उक्त जमीन से संबंधित खास महल पदाधिकारी सह अनुमंडल अधिकारी सह दण्डाधिकारी द्वारा राज्य सूचना आयोग राँची झारखण्ड केश वाद संख्या 1739/2015 एवं न्यायालय झारखण्ड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप के न्यायालय में दिए गए एफिडेविट में मेरे जमीन से संबंधित सरेंडर या किसी तरह से अधिग्रहण कागजात संबंधित कार्यालय में नहीं है। बावजूद इसके जमीन पर अवैध कब्जा जारी है।

खबरें और भी हैं...

एक दिवसीय कराटे शिविर: कराटे शिविर सह बेल्ट टेस्ट ग्रेडेशन का आयोजन

हजारीबाग शेयर

माओवादी संगठन: उग्रवाद प्रभावित दुरागढ़ा गांव में 29.50 लाख से बने 4

Advertise with Us | DB Reporter | Terms & Conditions and Grievance Redressal Policy | Contact Us | RSS | Cookie Policy | Privacy Policy

Our Divisions
DainikBhaskar.com
DivyaBhaskar.com
DivyaMarathi.com
MoneyBhaskar.com
HomeOnline.com
BhaskarAd.com

Copyright © 2023-24 DB Co ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNP Code of Ethics.

फीडबैक दें